राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12565/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
रामकरण चीमापुरा ग्राम पंचायत करनावर बाँदीकुई, दौसा,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग मिनी सचिवालय जयपुर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 13-04-2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।

2. मैंने पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

3. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 11-3-17 संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत कर अपने पत्र दिनांक 28-7-14 जो शमशान आंवटन से सम्बन्धित था पर की गई कार्यवाही, आदि के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

4. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 9-1-18 प्रस्तुत कर अंकित किया है कि अपीलार्थी को 5 पृष्ठीय सूचना हेतु राशि 10/-रु. का सूचना शुल्क जमा करवाने के लिए पत्र दिनांक 10-4-17 से संसूचित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया है। अपीलार्थी द्वारा अभी तक वांछित सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया गया है, अतः सूचना नहीं दी जा सकी।

5. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का आवेदन दिनांक 11-3-17 प्रत्यर्थी कार्यालय में दिनांक 14-3-17 को प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 10-4-17 से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना शुल्क जमा करवाये जाने हेतु अपीलार्थी को संसूचित किया गया था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा करवाने हेतु की गई मांग विधिसंगत है। अपीलार्थी वांछित सूचना शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही प्राप्त कर सकते थे। प्रत्यर्थी द्वारा की गई कार्यवाही अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुकूल है।

6. हस्तगत अपील बलहीन है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

7. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त